न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
130/2025	12.09.2025	06.05.2026

बउनवान

1. संतोष देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि शेरसिंह निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी पालपुर की ढाणी तहसील हरसोली
2. कृष्ण देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नी जसवन्त निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी पालपुर की ढाणी तहसील हरसोली
3. विधा देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नी सत्यवीर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी बिछाला तहसील तिजारा
4. सुनीता देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नी नरपाल निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी बिछाला तहसील तिजारा
5. सरला देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नी मनोहर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम
6. सुशीला देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नी मेहरचन्द निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम
7. अनिता देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नी मनोज निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिगावाकाजी तहसील हरसोली
8. सरोज पुत्री मूर्ति देवी पत्नी कृष्ण कुमार निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिगावाकाजी तहसील हरसोली

–: अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. मनीष पुत्र होशियार निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर
2. मूर्ति पुत्री रामलाल पत्नि नानगराम निवासी जालावास हाल खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर–मृतक
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

:– प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 व धारा 151 जा0 दी0 प्रतिवादी सं 1 की तरफ प्रार्थना पत्र/निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन था। परन्तु उपरोक्त अनुवान के वाद पत्र की प्रतिवादी सं 1 को पूर्व में कभी भी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–ति...

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी नहीं रही है व ना ही उक्त अनुवान के वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 1 की विधिवतरूप से तामील नहीं हुयी है व ना ही प्रतिवादी सं0 1 को कोई किसी प्रकार के सम्मन नोटिस ही प्राप्त हुये है व ना ही प्रतिवादी सं. 1 ने कोई किसी प्रकार की तामील व सम्मन पर अपने हस्ताक्षर ही किये हैं व ना ही प्रतिवादी सं. 1 की तामील रजिस्ट्रर्ड डाक से ही हुयी है बल्कि वादीगण/प्रार्थीगण ने पोस्टमैन से मिलकर प्रतिवादी सं0 1 की अनाधिकृत तौर पर तामील करवायी है। व ना ही वादीगण/प्रार्थीगण ने तामील प्राप्ति की डिलवारी रसीद ही पेश की है परन्तु न्यायालय श्रीमान वादीगण/प्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से पोस्टमैन से साज बाज होकर अनाधिकृत तौर पर करवायी गयी तामील से सन्तुष्ट होकर न्यायालय श्रीमान् द्वारा केवल रजिस्ट्री की रसीद के आधार पर बिना पोस्टमैन के ब्यान लेखबद्ध किये दिनांक 28.12.2024 को प्रतिवादी सं0. 1 की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ एक पक्षीय रूप से वादीगण का दावा दिनांकः–07.07.2025 को निर्णय एवं डिक्री किया गया है जो खिलाफ कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

2. यह है कि उक्त अनुवान के वाद पत्र प्रतिवादनी सं 2 मूर्ति देवी का स्वर्गवास दिनांक 08.12.2024 को हो चुका है परन्तु वादीगण ने जानबूझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष मृतका प्रतिवादनी सं0 2 मूर्ति देवी का मरम्त सवाल पेश नहीं किया व वादीगण/प्रार्थीगण ने बाला बाला साजिशी तौर पर न्यायालय श्रीमान् को मुगालता में रखकर मृतका प्रतिवादनी सं. 2 मूर्ति देवी के खिलाफ एक पक्षीय रूप में दावा डिक्री दिनांक 07.07.2025 को कराया है जो खिलाफ कानून है जो मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2025 निरस्त करार दिये जाने योग्य है।
3. यह है कि अब वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा गांव खानपुर अहीर में आकर ऐलानिया तौर पर कहा कि हमने प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर दिनांक 07.07.2025 को एक पक्षीय रूप में दावा अपने हक में डिक्री करवा लिया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 20.08.2025 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 07.07.2025 दावा व सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 28.08.2025 को प्राप्त होने पर कुल जानकारी हुयी जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ने अपने वकील साहब से कानूनी सलाह मशविरा करके यह अविलम्ब प्रार्थना पत्र आज दिनांक 03.09.2025 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है।
4. यह है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी सं 1 में जानबूझकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ नहीं रहा है व ना ही जानबूझकर विलम्ब से प्रार्थना पत्र ही पेश किया है बल्कि अज्ञानता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ रहा है व विलम्ब से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके लिए पृथक से दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है जो इस प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने योग्य है।
5. यह है कि प्रतिवादी सं. 1 आयन्दा हर तारीख पेशी पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष ने नियति से उपस्थित होकर पैरवी करने को तैयार है।
6. यह है कि यदि प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ जारी एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 व एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2025 को निरस्त करार दिया जाकर उपरोक्त अनुवान के वाद पत्र को नम्बर पर लिया जाकर तहकीकात नहीं किया गया तो प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 अपना जवाब दावा व साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने से वंचित रह जावेगा व प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 वास्तविक सही न्याय से महरूम रह जावेगा जिससे प्रार्थी प्रतिवादी को नापूर्ति होने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वाला नुकसान होगा जिस सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 व एक पक्षीय निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 07.07.2025 को निरस्त करार दिया जाकर उपरोक्त अनुवान के वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दोनों पक्षों को सुना जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाना न्याय संगत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि पत्रावली तलब की जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ जारी एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 व एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2025 को निरस्त करार दिया जाकर उपरोक्त अनुवान का वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दोनों पक्षों को सुना जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करने की कृपा करें।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है :-

1. यह है कि पैरा स0 1 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी/अप्रार्थी स0 1 द्वारा गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकी वास्तविकता तो यह है कि वादीगण द्वारा अदालत श्रीमान के समक्ष हम वादीगण के हक व हिस्से तक दानपत्र को बातिल व बेअसर करार दिलाने हेतु वाद पेश किया था, जिस वाद में प्रतिवादी स0 1 की जरियें डाक विधिवत तामील करायी गयी थी तथा प्रतिवादी स0 1 को मिन वादीगण द्वारा पेश वाद की जानकारी प्रारम्भ से रही है, लेकिन प्रतिवादी स0 1 जानबुझकर अदालत श्रीमान के समक्ष हाजिर नही हुआ तथा अदालत श्रीमान द्वारा नियमानुसार प्रतिवादी स0 1 की एक्सपार्टी अमल में लायी गयी थी तथा अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 7/7/2025 को निर्णय किया गया है तथा अदालत श्रीमान के द्वारा निर्णय किये जाने के बाद मिन वादीगण द्वारा दिनांक 13/8/2025 को अदालत श्रीमान के समक्ष इजराय पेश की गयी है तथा अदालत श्रीमान द्वारा निर्णय नियमानुसार किया गया है।
2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी ने जिम्मन हाजा मे मिथ्या तथ्य दर्ज किया है, जबकी मिन वादीगण को प्रतिवादी स० 2 की फौतगी की जानकारी होने पर अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर मूर्ती देवी का नाम हजफ कराया हुआ है तथा मिन वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से अदालत श्रीमान को मुगाता में नही रखा है, बल्कि वक्त पेश करते समय इजराय मूर्ती देवी को फौत दर्ज किया हुआ है, जिससे साबित है कि मिन वादीगण द्वारा कोई तथ्य अदालत श्रीमान से नही छिपाया है तथा अदालत श्रीमान द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर, सही निर्णय पारित किया है। जो निर्णय व डिकी किसी भी प्रकार से अपास्त योग्य नही है।
3. यह है कि पैरा स0 3 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी ने जिम्मन हाजा में कथित दिनांक की कहानी मिथ्या दर्ज की है, जब हम वाद की जानकारी प्रारम्भ से रही है, लेकिन अब प्रतिवादी स० 1 मिन वादीगण की इजराय कार्यवाही को रूकवाने की नियत से उक्त गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो काबिले खारीज है।
4. यह है कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, प्रार्थी जानबुझकर अदालत श्रीमान के समक्ष हाजिर नही हुआ है। प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

5. यह है कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, तथा प्रतिवादी स० 1 के उक्त कथन से भी साबित है कि प्रतिवादी स० 1 को वाद की जानकारी रही है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है।
6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रतिवादी स० 1 ने प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत दर्ज किया है, जब प्रतिवादी स० 1 को भिन प्रतिवादी द्वारा पेश इजराय की जानकारी रही है, जबकी इजराय में प्रतिवादी स० 1 के कोई सम्मन जारी नही हुये है, जिससे साबित है कि प्रतिवादी स० 1 को वाद की जानकारी रही है तथा भिन वादीगण पेश इजराय की भी जानकारी रही है, अब इजराय की कार्यवाही को रूकवाने की नियत से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसलिए प्रतिवादी स० 1 किसी भी प्रकार से दिनांक 7/7/2025 के निर्णय व डिक्री के आधार पर इजराय को निरस्त कराने व वाद को पुनः नम्बर लेने का अधिकारी नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादी स० 1 के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी/वादी की ओर से संक्षिप्त बहस

1. यह कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. पूर्णतः मिथ्या तथ्यों पर आधारित होकर केवल वाद की डिक्री एवं इजराय कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 की न्यायालय में विधिवत्त तामील डाक माध्यम से कराई गई थी तथा पत्रावली पर तामील संबंधी दस्तावेज उपलब्ध हैं। तामील से संतुष्ट होकर ही न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12. 2024 को प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी।
2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 को वाद की प्रारम्भ से पूर्ण जानकारी थी, किन्तु उसने जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं किया। अब जबकि वाद का निर्णय दिनांक 07.07.2025 को पारित हो चुका है तथा इजराय कार्यवाही भी प्रारम्भ हो चुकी है, तब प्रतिवादी सं. 1 ने दुर्भावनापूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
3. यह कि प्रतिवादी द्वारा तामील को अवैध बताने का कथन निराधार एवं असत्य है। केवल मनगढ़न्त आरोप लगाकर पोस्टमैन एवं वादीगण पर सांठगांठ का आरोप लगाया गया है, जिसका कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसा कथन स्वीकार योग्य नहीं है।
4. यह कि प्रतिवादी सं. 2 मूर्ति देवी की मृत्यु के संबंध में भी वादीगण द्वारा न्यायालय से कोई तथ्य नहीं छिपाया गया। वादीगण द्वारा आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतका का नाम हजफ कराया गया था तथा इजराय कार्यवाही में भी उसे फौत दर्ज किया गया है। अतः प्रतिवादी का यह कथन भी तथ्यहीन है कि न्यायालय को गुमराह कर डिक्री प्राप्त की गई।
5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कथित रूप से दिनांक 28.08.2025 को जानकारी प्राप्त होना भी अविश्वसनीय है, क्योंकि प्रतिवादी को वाद एवं इजराय दोनों की जानकारी पूर्व से थी। प्रतिवादी ने जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही की उपेक्षा की है, जिसका लाभ उसे नहीं दिया जा सकता।
6. यह कि आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री निरस्त करने हेतु प्रतिवादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसे समुचित तामील नहीं हुई अथवा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वह पर्याप्त कारणवश अनुपस्थित रहा। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी ऐसा कोई पर्याप्त कारण सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है।
अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 सी.पी. सी. मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से संक्षिप्त बहस

1. यह कि प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2025 विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित हुई है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 की कभी भी विधिवत तामील नहीं हुई। पत्रावली पर केवल रजिस्ट्री रसीद अंकित होना पर्याप्त तामील नहीं माना जा सकता, जबकि डिलिवरी रसीद एवं डाकिया के बयान भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं।
2. यह कि प्रतिवादी सं. 1 को वाद की किसी प्रकार की जानकारी पूर्व में नहीं थी। वादीगण द्वारा कथित तामील को आधार बनाकर प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज कराना न्यायसंगत नहीं था। प्रतिवादी को वाद की जानकारी तब हुई जब वादीगण गांव में डिक्री होने की बात कह रहे थे, तत्पश्चात प्रतिवादी ने तत्काल नकल प्राप्त कर बिना अनावश्यक विलम्ब के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
3. यह कि प्रतिवादी सं. 2 मूर्ति देवी का देहान्त दिनांक 08.12.2024 को हो चुका था, किन्तु वादीगण ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया तथा मृतका के विरुद्ध ही कार्यवाही जारी रखकर एकपक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली। मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित डिक्री विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि न्यायालयों द्वारा सदैव यह सिद्धान्त अपनाया गया है कि विवाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि तकनीकी आधार पर। यदि प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो उसे अपने दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, जिससे अपूरणीय क्षति होगी।
5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नियमित पैरवी करने को तैयार है तथा उसका उद्देश्य कार्यवाही को विलम्बित करना नहीं है। प्रतिवादी केवल यह चाहता है कि प्रकरण का निर्णय दोनों पक्षों को सुनकर न्यायोचित रूप से किया जाए।
6. यह कि आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. का उद्देश्य ऐसे ही प्रकरणों में पक्षकार को राहत प्रदान करना है, जहाँ पर्याप्त कारणवश अनुपस्थिति रही हो अथवा समुचित तामील नहीं हुई हो। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी ने पर्याप्त कारण स्पष्ट कर दिये हैं।

अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध जारी एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 एवं एकपक्षीय निर्णयधडिक्री दिनांक 07.07.2025 को निरस्त कर वाद को पुनः मूल संख्या पर बहाल कर दोनों पक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर निर्णय करने की कृपा की जावे।

संक्षिप्त विवेचन

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीध्प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. पर विचार किया गया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
गुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी विधिवत तामील नहीं होने का विशिष्ट कथन किया है तथा तामील संबंधी अभिलेखों में डिलिवरी रसीद एवं डाकिया के कथन का अभाव पाया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 2 मूर्ति देवी की मृत्यु संबंधी तथ्य भी विचारणीय है। न्यायहित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया जाये।

विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि वादों का निस्तारण यथासम्भव पक्षकारों को सुनकर मेरिट पर किया जाना न्यायोचित होता है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः पर्याप्त कारण विद्यमान होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थीध्प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. पर दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र को 5000/– रूपये कोष्ट पर स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध जारी एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 एवं एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2025 निरस्त किये जाते हैं।

प्रकरण को पुनः अपने मूल क्रमांक पर बहाल किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु नियत तिथि पर उपस्थित होने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

6/5/26

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० आ० प्रार्थी मय ज्ञा० पत्र का अवलोकन निर्णय के युक्त है अतः नियुक्ति हेतु पत्रावली कि तहसील [illegible] हेतु भेज कि जाती है पत्रावली पेशकार सुनवाई नम्बर में करके पत्रावली [illegible] वाद के साथ संलग्न रहे।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner